



कार्यालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता)
41, शिल्प भवन, अररा हिल्स, मध्य प्रदेश, भोपाल
दूरभाष क. - 2554330, 2556896, 2575255

पत्र क्र. 630 /मुतप(स)/लोनवि-सुझाव-1/04-05/

भोपाल दिनांक 11/02/

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
भोपाल, 4000

विषय :- निर्माण कार्यों के विलम्ब से कियान्वयन हेतु क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारण आदेश में स्पष्ट प्रक्रिया अपनाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव ।

विभिन्न प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों द्वारा विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर के लिए जारी किये जा रहे आदेशों में विलम्ब के कारणों की समीक्षा की जाकर विलम्ब अवधि की तुलना नहीं की गई है अनुबंधानुसार औचित्य पूर्ण रूप से क्षति पूर्ति राशि का निर्धारण किया जाना नहीं पाया जा रहा है। क्षतिपूर्ति आदेश स्पीकिंग नहीं होते। अतएव क्षतिपूर्ति प्रकरणों के निपटारे हेतु नेम्नानुसार सुझाव दिए जा रहे हैं -

1. कार्यों के कियान्वयन में हुए विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति राशि की गणना तथा वसूली अनुबंध के प्रावधानों अनुसार सुनिश्चित की जाये। इस हेतु विलम्ब की अवधि की गणना अंकित की जाना चाहिए तथा इसमें जिस अवधि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है, वह अवधि स्पष्ट रूप से विवेचनात्मक विवरण उपरांत अलग दर्शाते जाकर घटाई जाने उपरांत शेष अवधि के लिए अनुबंध प्रावधानों अनुसार क्षतिपूर्ति की दर का औचित्यपूर्ण निर्धारण किया जाना चाहिये।

विभागीय अधिकारियों द्वारा समय वृद्धि तथा क्षतिपूर्ति प्रकरणों के निर्णयों में उपरोक्तानुसार स्पष्ट विवरण दर्शाते हुये विस्तृत आदेश (स्पीकिंग आर्डर) जारी किया जाना चाहिये

2. ऐसे प्रकरणों में अथवा ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है, वहाँ विलम्ब अवधि के कारणों की समीक्षा प्रमुख अभियंता/विभागाध्यक्ष स्तर पर की जाकर यथोचित उपाय किये जाना चाहिये ताकि इस प्रकार के विलम्ब की स्थिति से बचा जा सकें।

सुझाव

उपरोक्त सुझाव अनुसार निर्माण कार्य का निर्माण कार्यवाही हेतु कार्यालय निर्धारण के लिए समस्त निर्माण विभागों को निर्देशित करने तथा इस संबंध में सम्बंधित विभागों द्वारा कार्यवाही से संगठन को अवगत कराने के लिए निर्देशित करने हेतु निम्न है।

सं. 11/02

मुख्य तकनीकी परीक्षक(सतर्कता)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क. 661 /मुतप(स)/सुझाव-11/2004-05/
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 11 / 02,

1. प्रमुख सचिव, MOPRO शासन, लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।

मुख्य तकनीकी परीक्षक(सतर्कता)
मध्य प्रदेश, भोपाल

नायक/2.02.05

कार्यालय मुख्य अभियंता,
(राजधानी परिक्षेत्र) भो.नि.वि., भोपाल

पृष्ठ क्रमांक
प्रतिलिपि :-

संख्या/75/विधि/81 दिनांक

1. अधीक्षण यंत्री (परियोजना मण्डल) लो.नि.वि. भोपाल
2. समस्त कार्यवाहक यंत्री, लोक निर्माण विभाग (राजधानी परिक्षेत्र) की ओर सूचनाएं तथा आवश्यक कार्य हेतु अशेषित निर्देशों का स्तर से पत्रों के द्वारा सूचनाएं करें।

मुख्य अभियंता,
(राजधानी परिक्षेत्र) भो.नि.वि.,